

**मेरठ विकास प्राधिकरण की 63 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 7-7-2001 का  
कार्यवृत्त**

मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 63वीं बैठक दिनांक 7-7-2001 को आयुक्त सभापाल,  
मेरठ में आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ की अध्यक्षता में प्रातः 11-00 बजे प्रारम्भ हुई। सर्वप्रथम  
उपाध्यक्ष द्वारा बोर्ड के अध्यक्ष महोदय तथा माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया। बैठक  
में निम्नलिखित अधिकारी एवं सदस्य उपस्थित थे।

1.	श्री दीपक सिंघल आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।	अध्यक्ष
2.	श्री चौबसिंह वर्मा उपाध्यक्ष मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।	उपाध्यक्ष
3.	श्री अवनीश कुमार अवस्थी जिलाधिकारी, मेरठ।	सदस्य
4.	श्री विश्वनंद सिंह अपर निदेशक (उद्योग), मेरठ।	सदस्य
5.	श्री आर० पी० असोरा मुख्य नगर अधिकारी नगर निगम, मेरठ।	सदस्य
6.	श्री राजपाल कौशिक सहयोगी नियोजक (प्रतिनिधि-मु० नगर एवं ग्राम नियोजक, लखनऊ)	सदस्य
7.	श्री एस० के० जमा चीफ को अडिनिटर प्लानर (प्रतिनिधि-आयुक्त, एन० सी० आर०)	सदस्य
8.	श्री जय भगवान वत्स अधीक्षण अधियन्ता, जलनिगम, मेरठ। (प्रतिनिधि-प्रबन्ध निदेशक, ड० प्र० जलनिगम, मेरठ।	सदस्य
9.	श्री लक्ष्मी कान्त बाजपेयी विधायक - मेरठ नगर	विशेष आमन्त्री
10.	श्री अमित अग्रवाल विधायक - मेरठ कैन्ट	विशेष आमन्त्री
11.	श्री सी० एल० महाजन चार्टेड एकाउन्टेन्ट	विशेष आमन्त्री

63 ct 98 483

9515 - 7-7-2001

451

412 413

### **मद सं०-१**

मेरठ विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 19-10-2000 के कार्यवृत्त की पुष्टि ।

मेरठ विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 19-10-2000 के कार्यवृत्त की पुष्टि इस संशोधन के साथ की गयी कि मद सं०- 19 एवं 25 में निम्नलिखित अंश बढ़ा दिया जाये ।

“श्री अवनीश कुमार अवस्थी, जिलाधिकारी, मेरठ ने यह विचार रखा कि इन प्रस्तावों के सम्बन्ध में जो भी कार्य किये जाये उसके सम्बन्धमें यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि वह पूर्णतया नियमानुसार तथा प्राधिकरण के हित में है ।”

### **मद सं० -२**

मेरठ विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 19-10-2000 में पारित विभिन्न प्रस्तावों की अनुपालन आख्या ।

मेरठ विकास प्राधिकरण की 62वीं बोर्ड बैठक दिनांक 19-10-2000 में पारित विभिन्न प्रस्तावों की अनुपालन आख्या की स्थिति से सचिव द्वारा बोर्ड को अवगत कराया गया । अनुपालन आख्या के मद संख्या -7 के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि मूल मूल्यांकन पद्धति अपनाकर विक्रय की गयी सम्पत्ति का व्यौरा अध्यक्ष महोदय को उपलब्ध कराया जाये ।

मद संख्या-28 के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्णय लिया गया कि नये कमेले के मानचित्र का प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर नये स्थल पर नियमानुसार स्वीकृति देने पर विचार कर लिया जाये ।

### **मद सं०-३**

मेरठ विकास प्राधिकरण का वित्तीय बर्ष 2000-2001 का वास्तविक एवं बर्ष 2001-2002 का प्रस्तावित आय-व्ययक ।

मेरठ विकास प्राधिकरण का वित्तीय बर्ष 2000-2001 का वास्तविक एवं बर्ष 2001-2002 का प्रस्तावित आय-व्ययक ( बजट) निम्नलिखित निर्देशों के साथ पारित किया गया:-

अ- सम्पत्तियों का पंजीकरण/आबंटन/कब्जे आदि की कार्यवाही फर्जी रसीदों के आधार पर किये जाने की शिकायतों को दृष्टिगत रखते हुए बैंक रिक्सीलेशन नियमित रूप से किया जाये तथा ग्रेटर नौयडा पैटर्न पर सम्पत्ति का कम्प्यूटरीकरण करा लिया जावे ।

**ब-** प्रत्येक अनुभाग की समस्त पत्रावलियों को पंजिका में दर्ज किया जाये ।  
पंजिका की संख्या पत्रावली संख्या के रूप में अंकित की जाये ।

**स-** उपाध्यक्ष कार्यालय में पंजिकाओं की पंजिका ( Register of Registers )  
अनुरक्षित किया जाये जिसमें प्राधिकरणकी समस्त पंजिकाओं को दर्ज किया जाये ।

**द-** शमन शुल्क के कितने मामले लम्बित हैं इसकी सूचना अध्यक्ष महोदय को  
दी जाये ।

**य-** प्राधिकरण व्यय कम करने के लिये प्राधिकरण के अतिरिक्त (सरप्लस) स्टाफ  
को नये प्राधिकरणों में स्थानान्तरण हेतु शासन को अनुरोध पत्र भेज दिया जावे । कोई  
कर्मचारी यदि किसी अन्य विकास प्राधिकरण में जाना चाहते हों तथा सम्बन्धित विकास  
प्राधिकरण से माँग-पत्र प्राप्त होवे तो उन्हें तत्काल भेज दिया जाये ।

**र-** जिन गाँवों के चारों ओर की भूमि अर्जित की जा चुकी है उन गाँवों में मूलभूत  
सुविधायें उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में प्राधिकरण आवश्यक कार्यवाही करे ।

मद सं०-४

श्रीमती पूनम जायसवाल द्वारा ग्राम- इखंलासनगर डाबका, मेरठ के खसरा  
सं०-४५२ मि० क्षेत्रफल 2648.68 व०मी० पर निर्मित पेट्रोल पम्प के भूउपयोग  
परिवर्तन की स्वीकृति एवं शमन किये जाने के सम्बन्ध में ।

विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि यह प्रकरण शासन को इस शर्त के साथ  
सन्दर्भित कर दिया जाये कि सर्विस रोड, ड्रेनेज एवं बाईपास के भविष्य में होने वाले  
विस्तारीकरण/चौड़ीकरण को ध्यान में रखते हुए ही अन्तिम निर्णय लिया जाये और इस  
भूखण्ड का उपयोग केवल पेट्रोल पम्प के लिये ही किया जायेगा ।

मद सं०-५ "

एस्कोटेल मोबाईल कम्युनिकेशन्स लि० द्वारा ग्राम सलारपुर जलालपुर मवाना  
रोड, मेरठ में 6300 वर्गगज भूमि पर " द्वितीय मैन स्विचिंग सेन्टर" स्थापित  
किये जाने के सम्बन्ध में ।

विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि एस्कोटेल मोबाईल कम्युनिकेशन्स  
लि० द्वारा मोबाईल टेलीफोन सर्विसेज के प्रयोजनार्थ मेरठ तथा एन०सी०आर क्षेत्र में  
इन्फ्रास्ट्रक्चर सेवाओं की उपयोगिता एवं सुविधा की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते  
हुए सड़क विस्तार एवं आवश्यक सैट बैक छुड़वाते हुए जितना भाग निर्मित हो चुका  
है उसे एडजस्ट ( Adjust ) कर लिया जाये तथा कम्पनी द्वारा भवन मानचित्र में संशोधन  
करते हुए भूउपयोग परिवर्तन शुल्क जमा कराने की शर्त सहित शासन को सन्दर्भित  
कर दिया जाये ।

4

5

#### मद सं०-६

दीवान दौलतराम एजूकेशन फाउन्डेशन द्वारा प्रस्तावित बाईपास मार्ग पर ग्राम - दुंगरावली एवं कुण्डा की कुल लगभग 10.6215 हैक्टेयर भूमि का "केन्द्रीय मनोरंजन सुविधायें क्षेत्रीय पार्क" भूउपयोग से "शैक्षिक संस्थायें" भूउपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में ।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि मेरठ बाईपास मार्गपर ग्राम-दुंगरावली में खसरा संख्या-278(आ) तथा ग्राम - कुण्डा में खसरा संख्या - 126, 127 (आधारण), 130 मि०, 131, 132, 154, 157, 158, मि० एवं 159 की कुल 10.6215 हैक्टेयर भूमि में से केवल 10 एकड भूमि "केन्द्रीय मनोरंजन सुविधायें एवं क्षेत्रीय पार्क" से "शैक्षिक" में किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन को भेज दिया जाये । प्रस्ताव भेजने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रश्नगत भूमि से होकर गाँव के लिये जाने वाला रास्ता तो नहीं बाधित होता है अथवा इसमें नगर निगम की कोई भूमि तो सम्मिलित नहीं है ।

#### मद सं०-७

महादेव एसोसिएट्स की गंगानगर आवासीय योजना के पाकेट-बी में आबंटित हैल्थ सैन्टर/नर्सिंग होम के भूखण्ड पर आवासीय निर्माण की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में ।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि हैल्थ सैन्टर/नर्सिंग होम के लिये गंगानगर योजना में अन्यत्र उपयुक्त स्थल प्लान करते हुए प्रश्नगत भूखण्ड को आवासीय उपयोग में लाने हेतु अनुमति दे दी जावे ।

#### मद सं०-८

मेरठ रुडकी बाईपास मार्ग पर निर्मित विवाह मण्डप (बंधन पैलेस) की भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन उपरान्त शमन किये जाने की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि "महायोजना बाईपास मार्ग विस्तार" की भूमि को छोड़कर अवशेष 807 व०मी० भूमि के "शैक्षिक" भूउपयोग को "सामुदायिक सुविधाओं" में परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित किये जाने का निर्णय इस शर्त के साथ लिया कि इसमें भी वही शर्तें लागू रहेंगी जो मद सं०-४ के सम्बन्ध में हैं ।

#### मद सं०-९

दौलतराम दीवान चैरिटेबल ट्रस्ट, को प्राईमरी स्कूल हेतु आबंटित भूमि से लगी "कन्वीनिएन्ट शापिंग" की भूमि के आबंटन के सम्बन्ध में।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रस्ताव वापस लिया गया।

#### मद सं०-१०

मेरठ विकास प्राधिकरण की मेजर ध्यान चन्द्र स्पोर्टस गुडस काम्पलैक्स योजना विकसित की गयी है, योजना में आल इण्डिया स्पोर्टस गुडस मैन्यूफॉर्चस फैडरेशन के माध्यम से आबंटित सम्पत्ति पर फैडरेशन के सदस्यों एवं प्राधिकरण के साथ ब्याज माफी पर हुए निर्णय का औपचारिक अनुमोदन।

बोर्ड द्वारा अभी तक स्थल पर यूनिटें स्थापित न होने पर चिन्ता प्रकट की गयी।

फैडरेशन व प्राधिकरण के साथ ब्याज माफी पर मार्च में हुए निर्णय को अनुमोदित करते हुए बोर्ड द्वारा इस प्रकरण में सभी पहलुओं पर विचारोंपरान्त निर्णय लेकर क्रियान्वयन हेतु जिलाधिकारी, मेरठ की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी। इसमें उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, मेरठ, अपर निदेशक(उद्योग), वित्त नियन्त्रक, मेरठ विकास प्राधिकरण एवं सम्बन्धित जनप्रतिनिधि सदस्य होंगे एवं सम्बन्धित योजना प्रभारी (मुख्य लेखाधिकारी) इसके संयोजक होंगे।

उपरोक्त समिति इस प्रकरण के सम्बन्ध में एक पैकेज डील के रूप में निर्णय लेगी। यथोचित निर्णय लेकर अध्यक्ष महोदय को अवगत करा दिया जाय।

#### मद सं०-११

शताब्दी नगर आवासीय योजना में ए०डब्ल्यू०एच०ओ० द्वारा आवासीय उपयोग हेतु आबंटित करायी गयी 30 एकड़ भूमि के विरुद्ध जमा की गयी धनराशि ब्याज सहित वापस किये जाने के सम्बन्ध में।

विचारोपरान्त ए०डब्ल्यू०एच०ओ० को आबंटित भूमि के मद में जमा धनराशि की वापसी के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि उनको रक्षापुरम आवासीय योजना में 31,416 वर्गमीटर भूमि, जिसमें आने जाने के लिये कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा ए०डब्ल्यू०एच०ओ० की भूमि से सटी हुई है, उसके लिये ₹० 730/- प्रति वर्गमीटर की दर से देते हुए धनराशि का समायोजन कर लिया जाये। अवशेष धनराशि बिना ब्याज एवं बिना कटौती के शताब्दीनगर योजना में ए०डब्ल्यू०एच०ओ० को आबंटित भूमि का विक्रय करके शनै-शनै वापस कर दी जावे। प्राधिकरण ए०डब्ल्यू०एच०ओ० के साथ इस बिषयक एम०ओ०य० कर लें।

### मद सं०-12

उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ के अन्य शहरों में होटल में ठहरने पर कमरा किराये की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।

विचारोपरान्त इस निर्णय के साथ अनुमन्य किया गया कि भविष्य में ऐसे प्रकरण बोर्ड में न रखे जायें।

### अनुपूरक मद सं०-1

विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में शासन से प्राप्त आवश्यक परिष्कारों को अंगीकार किये जाने के सम्बन्ध में।

विचारोपरान्त शासन से प्राप्त विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि - 2000 को अंगीकार किये जाने का निर्णय लिया गया।

### अनुपूरक मद सं०-2

ग्राम कसेरु बक्सर के गाटा सं०-156 जिसका भूउपयोग महायोजना -1991 में आवासीय था तथा भूमि अर्जन की विज्ञप्तियों में भी आवासीय प्रयोजन के लिये ही विज्ञप्तियाँ शासन द्वारा निर्गत की गयी थीं तथा प्रश्नगत भूमि को शासन के आदेश के अनुपालन में विकास शुल्क लेकर समायोजित किया गया है, के महायोजना-2001 में दर्शित भूउपयोग “पार्क एवं खुले स्थल” से पूर्व की भाँति समस्त विज्ञप्तियों के अनुसार संशोधित करके आवासीय ही रखने के सम्बन्ध में।

विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। गजट नोटिफिकेशन हेतु शासन को प्रस्ताव भेज दिया जावे।

### अनुपूरक मद सं०-3

बारातघरों के निर्माण को प्रशमित किये जाने के सम्बन्ध में।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि भूउपयोग के विरुद्ध कोई बैंकट हॉल/बारातघर नहीं बनने दिया जाये। लम्बित 35 विवाह मण्डपों के बारे में एशोसिएशन से वार्ता कर स्यायोचित प्रक्रिया अपनाने व निर्णय लेने हेतु उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी जिसमें मुख्य नगर नियोजक, मेरठ विकास प्राधिकरण (सदस्य-संयोजक), जिलाधिकारी, मेरठ के प्रतिनिधि (अपर जिलाधिकारी-नगर), मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, मेरठ, सहयुक्त नियोजक, मेरठ सदस्य होंगे। इसके अतिरिक्त भविष्य में जो विवाह मण्डप निर्मित किये जायेंगे उसके लिये गार्ड लाईंस भी तैयार कर व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु जारी की जायेगी। समिति

की संस्तुति के आधार पर जो प्रकरण बोर्ड द्वारा स्वीकृति योग्य है, उन्हें अनुमोदन हेतु बोर्ड के समक्ष रखा जावे। जो प्रकरण शासन को भेजने योग्य है उन्हें शासन को सन्दर्भित कर दिया जावे। वर्तमान में यदि कोई बारातघर निर्माणाधीन हैं तो इसे तत्काल रोक दिया जाये।

#### अनुपूरक मद सं०-४

नगर निगम, मेरठ द्वारा पुराने कमेला स्थल के स्थान पर ग्राम घोसीपुर के खसरा नम्बर 863,864,865,866 व 867 में आधुनिक पशुवधशाला का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।

बोर्ड अद्यावधिक स्थिति से अवंगत हुआ।

#### अनुपूरक मद सं०-५

एशोसिएशन ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, को गंगानगर आवासीय योजना में “इंजीनियरिंग कालेज” की स्थापना हेतु लगभग 20,000 व०मी० एवं 37,000 व०मी० की अतिरिक्त भूमि के आबंटन के सम्बन्ध में।

विचारोपरान्त गंगानगर के “ओ” पाकेट में उपलब्ध 20,000 वर्गमीटर भूमि 690-00 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर पर तथा 37,000 वर्गमीटर भूमि “शैक्षिक” उपयोग हेतु आरक्षित भूमि को शासनादेश के अनुसार योजना के सैकटर दर (वर्तमान में रु० 1,000-00 प्रति वर्गमीटर) का 50 प्रतिशत अर्थात् 500रुपये प्रति व०मी० की दर से नियमानुसार टैन्डर प्रक्रिया से आबंटित किये जाने का निर्णय लिया गया।

#### अनुपूरक मद सं०-६

श्री नरेश कुमार अग्रवाल, मन्त्री संयुक्त व्यापार संघ, मेरठ के शिकायती-पत्र पर की गयी जाँच व जाँचोपरान्त की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा जाँचोपरान्त की गयी कार्यवाही का संज्ञान लिया गया। अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिये कि प्रभावित पक्ष निरस्त की गयी सम्पत्ति के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन जाँच अधिकारी (जिलाधिकारी), उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण व आयुक्त, मेरठ मण्डल को दे सकते हैं। विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि विकास प्राधिकरण विभिन्न योजनाओं में बल्कि में उपलब्ध भूमि पर 10-20 हैक्टेअर के साथ-साथ 2 - 4 हैक्टेअर आवासीय भूमि भी बल्कि में विक्रय हेतु समाचार-पत्रों में प्रकाशित करके विक्रय किये जाने के प्रयास किये जायें।

अनुपूरक मद संख्या-7

वेदव्यासपुरी योजना के भूखण्डों की आवास विक्रय दर के सम्बन्ध में।  
विचारोपरान्त कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बैठक अध्यक्ष महोदय को तथा अन्य सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त  
समाप्त की गयी।

A  
12/7/2001  
सचिव

मेरठ विकास प्राधिकरण

V  
12/7/2001 अध्यक्ष

मेरठ विकास प्राधिकरण

मेरठ विकास प्राधिकरण

दिनांक 15-3-2002

कार्यवृत्त